विधानसभा चुनाव • पहाड़ी और नदी से घिरा व 17 किलोमीटर घने जंगल में बसा गांव भेरूखेड़ा, बिजली भी नहीं

खंडवा के आखिरी मतदान केंद्र पर ईवीएम के साथ जनरेटर लाए अधिकारी, तब डले 59 वोट

भास्कर न्यूज़ | खंडवा

जिले के सबसे आखिरी मतदान केंद्रों में से एक है भेरूखेड़ा। मांधाता विधानसभा के नर्मदानगर क्षेत्र में आने वाला ये गांव 17 किलोमीटर अंदर घने जंगल में बसा है। इसके दोनों ओर पहाड़ियां और एक तरफ नदी है। इनके बीच घिरे भेरूखेड़ा गांव में न तो बिजली है न ही रोड। चुनाव अधिकारी एक दिन पहले जब यहां पहुंचे तो वे अपने साथ ईवीएम मशीन के साथ जनरेटर भी लाए। जनरेटर में 23 लीटर डीजल फूंका तब जाकर मतदान हो पाया। गांव में 68 मतदाता हैं। जिनमें से शाम तक 59 वोट डाल चुके थे।

गांव के सुदूर इलाकों में मतदान का जायजा लेने के लिए भास्कर टीम नर्मदानगर स्थित जयंती माता रोड पर बसे वन ग्राम भेरूखेड़ा के लिए निकली। घने जंगल और पथरीले रास्तों से होते हुए 11 रपटों को पार कर टीम पठार पर पहुंची जहां भेरूखेड़ा बसा था। यहां मूंदी का कोटवार और एक होमगार्ड के सैनिक के साथ पांच अधिकारियों का दल वोटिंग करवा रहा था। गांव में 22 घर हैं, जिनमें 68 मतदाता हैं। 59 लोगों ने मतदान किया। जिसमें 30 महिला व 29 पुरुष हैं। बाकी 9 लोग इंदौर व गुजरात मजदूरी करने गए थे इसलिए वोट नहीं डाल पाए। जनरेटर ऑपरेटर अंकित ककोड़े ने बताया यहां बिजली तक नहीं है। 24 घंटे में 23 लीटर डीजल जनरेटर में डाला तब वोटिंग हो पाई। वरना ईवीएम मशीन नहीं चलती।

पहला वोट रोड, बिजली, स्कूल और स्वास्थ्य के लिए : भेरूखेड़ा के ग्रामीणों ने उपचुनाव में मतदान के लिए बहिष्कार किया था। ग्रामीण दीना बाई, रेव सिंह ने बताया गांव बसा 45 साल से ज्यादा हो गया। लेकिन आज तक रोड और बिजली नहीं। ट्रैक्टर की बैटरी से मोबाइल चार्ज करते हैं और एक लाइट जला लेते हैं। स्कूल में एक अतिथि शिक्षक सिर्फ 15 अगस्त व 26 जनवरी पर झंडा वंदन करने आता है। बाकी दिन शाला में बच्चे नहीं मवेशी बैठते हैं। गांव में 34 महिलाएं है, पर लाड़ली बहना योजना में सिर्फ दो महिलाओं के नाम ही जुड़े। बाकी किसी के खाते में रुपए नहीं आ रहे।

युवा मतदाता पायल जामले, द्वारकी चौहान, राहुल करोले व अजय चौहान ने पहली बार मतदान करते हुए कहा कि हमारा पहला वोट गांव के विकास के लिए है। 25 किलोमीटर दूर पथरीले रास्ते से निकलकर पामाखेड़ी में गेहूं पिसवाने जाना पड़ता है। तबीयत बिगड़ने पर रास्ते में ही दम निकल जाए।

अपना मत अपना साधन... मटेरियल की ट्रॉली पर बैठकर आई मतदान के लिए बुजुर्ग

खंडवा | मतदान के प्रति बुजुर्गों में भी खासा उत्साह दिखाई दिया। भगतसिंह चौक के मतदान केंद्र पर चलने में अक्षम बुजुर्ग जुबेदा बी बेग (80) को उनके परिजन मटेरियल ट्रॉली पर बैठाकर केंद्र तक ले गए। यहां सुरक्षा र्मियों व मतदान दल ने जुबेदा से मतदान कराया।

हरदा : टेंट उठा दूसरी जगह रखते समय लगा करंट, मतदाता की मौत, पंचायत सचिव सहित तीन घायल

हरदा | हरदा विधानसभा के धनगांव के मतदान केंद्र क्रमांक 29 में मतदान के दौरान शुक्रवार सुबह 8 बजे हादसा हो गया। केंद्र के बाहर लगा टेंट उठाकर दूसरी जगह ले जाते समय ऊपर से गुजरी बिजली लाइन के तार से लोहे का पाइप टकरा गया, करंट से चार लोग दूर जा गिरे। इसमें वोट देने आए एक युवक मौके पर ही मौत हो गई।

पंचायत सचिव सहित तीन लोग घायल हो गए। पंचायत सचिव का जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद भोपाल रैफर कर दिया। दूसरे घायल का निजी नर्सिंग होम में इलाज चल रहा है। तीसरे व्यक्ति को मामूली चोटें आई है। कलेक्टर ऋषि गर्ग ने मृतक सुनील पिता भूरेलाल के परिजन को तत्काल रेडक्रॉस से 2 लाख रुपए मंजूर किए।

वोट देने के बाद केंद्र पर हार्ट अटैक आया, मौत

उज्जैन | पत्नी के साथ वोट डालने के बाद मतदाता की मतदान केंद्र पर ही तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। मतदाता को मतदान केंद्र पर घबराहट होने के बाद पीठासीन अधिकारी व ड्यूटीरत अन्य कर्मचारियों ने कुर्सी पर बैठाया व ऑटो से अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोपहर 3 बजे के करीब गांधीनगर निवासी संजय मालवीय (70) ने पत्नी के साथ चिमनगंज मंडी स्थित मतदान केंद्र क्रमांक 55 पर मतदान किया। इसके तुरंत बाद ही पीठासीन अधिकारी से वे बोले कि मुझे घबराहट हो रही है। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

जिन छात्रों ने तीन साल का यूजी प्रोग्राम किया उनके लिए पीजी सेकंड ईयर रिसर्च पर आधारित रहेगा

पहली बार... यूजीसी ने कुरिकलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क का ड्राफ्ट किया तैयार

राहुल शर्मा | भोपाल

यूजी में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के बाद अब पीजी प्रोग्राम पर फोकस किया जा रहा है। इसके तहत ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने तीन साल की बैचलर डिग्री की है, उनके लिए पीजी सेकंड ईयर रिसर्च बेस्ड होगा। इसी के साथ ऐसे छात्र जो चार साल का बैचलर प्रोग्राम ऑनर्स या ऑनर्स रिसर्च के साथ करेंगे उनके लिए पीजी प्रोग्राम एक साल का होगा। यह एक तरह से बैचलर-मास्टर इंटीग्रेडेट प्रोग्राम होगा। इस संबंध में यूजीसी ने पीजी प्रोग्राम के लिए कुरिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क तैयार किया है। इसके लिए यूजीसी ने पीजी प्रोग्राम के लिए कई तरह की अनुशंसा भी की हैं। साथ ही पीजी प्रोग्राम में मास्टर प्रोग्राम के कोर एरिया में मशीन लर्निंग के साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस आदि को हेल्थ केयर, लॉ और एग्रीकल्चर जैसी फील्ड में भी अमल में लाने के लिए कहा है।

एनसीआरएफ के साथ जोड़ा जाएगा : पीजी फ्रेमवर्क को नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) से जोड़ा जाएगा। इसमें सभी तरह की लर्निंग और असाइनमेंट पर क्रेडिटाइजेशन, स्टोरेज, ट्रांसफर आदि को भी शामिल किया गया है। कुरिकुलम फ्रेमवर्क की यह रहेंगी खासियतें : मास्टर कुरिकुलम फ्रेमवर्क की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह मल्टीडिसिप्लिनरी होगा। यानि एक डिसिप्लिन से दूसरे को चुना जा सकता है। इसी के साथ ऐसे छात्र जो डबल मेजर सब्जेक्ट के साथ यूजी क्वालिफाई कर चुके हैं, वे पीजी में भी इनका चुनाव कर सकेंगे। इसी के साथ जिन छात्रों ने यूजी में मेजर और माइनर सबजेक्ट लिया था, वे पीजी में मेजर और माइनर में से किसी का एक चुनाव कर सकेंगे।

वैकल्पिक मोड पर भी जा सकेंगे : इसी के साथ छात्रों को अल्टरनेटिव मोड ऑफ लर्निंग पर स्वीच करने का अधिकार भी होगा। वे ऑफलाइन, ऑनलाइन लर्निंग, ओडीएल और हाईब्रीड मोड ऑफ लर्निंग का चुनाव अपनी पसंद के हिसाब से कर सकते हैं।

160 क्रेडिट होना चाहिए यूजी में आनर्स : **आनर्स** विथ रिसर्च में कम से कम 160 क्रेडिट्स फर्स्ट इयर मास्टर प्रोग्राम में होना चाहिए। यह नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (एनएचईक्यूएफ) के लेवल 6.5 के लिए होना चाहिए। इसी के साथ तीन साल की बैचलर डिग्री, जिसमें कम से कम 120 क्रेडिट्स 2 वर्षीय मास्टर प्रोग्राम के लेवल 6.5 के लिए होना चाहिए।

इसी के साथ बीई, बीटेक जैसे चार वर्षीय यूजी पाठ्यक्रम के विद्यार्थी के लिए कम से कम 160 क्रेडिट्स 2 वर्षीय पीजी प्रोग्राम (एमई, एमटेक) में एनएचईक्यूएफ के लेवल 7 के लिए होना चाहिए।

तीन तरह के पीजी में बांटा : पीजी कोर्स को तीन तरह से बांटा गया है। इनमें फर्स्ट इयर मास्टर, 2 इयर मास्टर और इंटीग्रेटेड 5 इयर प्रोग्राम शामिल है। जो छात्र तीन वर्षीय यूजी के बाद 2 इयर पीजी में प्रवेश लेंगे, वे थर्ड-फोर्थ सेमेस्टर में कोर्स वर्क चुन सकते हैं या तीसरे सेमेस्टर में कोर्स वर्क और चौथे सेमेस्टर में रिसर्च वर्क चुन सकते हैं। तीसरे विकल्प के तौर पर वे थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में केवल रिसर्च को चुन सकते हैं। इसी के साथ एग्जिट के लिए भी अलग से नियम बनाए गए हैं।

नौवीं मंजिल से खुदकुशी, छात्रा का शव पीएम के बाद परिजन को सौंपा

भोपाल | कमला नगर स्थित रिवेरा हाइट्स की नौवीं मंजिल से खुदकुशी करने वाली एएसपी की बेटी बीएएलएलबी की छात्रा का शव पुलिस ने शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल खुदकुशी के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है।

पुलिस के मुताबिक भोपाल पुलिस कमिश्नरेट में एडिशनल डीसीपी जोन-03 शालिनी दीक्षित और एआईजी पुलिस मुख्यालय संदीप दीक्षित की 17 वर्षीय बेटी महती ने रिवेरा हाइट्स से खुदकुशी कर ली थी। वह रिवेरा हाइट्स की आठवीं मंजिल पर रहने वाली अपनी नानी से मिलने गुरुवार की शाम गई थी। पुलिस को नवी मंजिल पर महती का मोबाइल, डायरी और बैग रखा मिला था। इससे पुलिस अंदाज लगा रही है कि उसके द्वारा खुदकुशी की गई है। महती बीएएलएलबी की छात्रा थी। रोजाना डायरी लिखने के साथ ही उसे कविताएं लिखने का भी शौक था। पुलिस को जो डायरी मिली है उसमें वह रोजाना का घटनाक्रम लिखती थी।

पुलिस को फिलहाल डायरी में ऐसा कुछ नहीं मिला है जिससे खुदकुशी के कारणों का खुलासा हो सके। पुलिस का कहना है कि माता-पिता के बयानों के बाद ही खुदकुशी के कारणों का पता चल सकेगा।

फंदे में फंसे तेंदुए को पन्ना टाइगर की टीम ने बचाया

खुरई (सागर) | ललोई के गांव के पास वनविभाग की खुरई रेंज के तहत बलोप बीट में जंगली क्षेत्र में तेंदुआ तार के फंदे में फंस गया। फंदा सूअर पकड़ने के लिए अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक्सीलेटर वायर से बनाकर लगाना बताया। शुक्रवार सुबह लोगों ने वन विभाग के अमले को सूचना दी। अमले की ड्यूटी चुनाव में थी। इस पर पन्ना टाइगर रिजर्व की टीम को बुलाया, जिसने तेंदुए को निकाला।

जाहिर सूचना का प्रतिवाद

श्री किशोर जैन, अधिवक्ता, इंदौर द्वारा दिनांक 17/11/2023 को दैनिक भास्कर अखबार में जाहिर सूचना प्रकाशित की गयी है कि उनके पक्षकार द्वारा **ग्राम कांकरिया बोरडिया तहसील हातोद (एस.आर. सांवेर) जिला इंदौर के प.ह.नं. 16 पर स्थित भूमि सर्वे नं. 81/6/1 रकबा 2.462 हेक्टेयर, सर्वे क. 81/6/2 रकबा 2.025 हेक्टेयर, सर्वे क्र. 81/7 रकबा 4. 487 हेक्टेयर, 81/8/1 रकबा 3.240 हेक्टेयर कुल खसरा 4, कुल रकबा 12.214 हैक्टेयर कृषि भूमि** को मेरे पक्षकार नोबल फ्रेण्ड्स फाउण्डेशन से क्रय करने का अनुबंध निष्पादित किया होकर उपरोक्त भूमि बाबद अनुबंध के विशिष्ट परिपालन एवं स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता बाबद व्यवहार वाद प्रकरण क्र. 910ए/2022 में विचाराधीन है। उक्त बाद में मेरे पक्षकार नोबल फ्रेण्ड्स फाउण्डेशन तर्फे ट्रस्टी / डायरेक्टर (विजय लक्ष्मी खटवानी) द्वारा उचित जबाब प्रस्तुत किया जा चुका है तथा उक्त वाद प्रचलन योग्य नहीं है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है की उक्त भूमि मेरे पक्षकार के मालिकी एवं आधिपत्य की भूमि है जिसे मेरे पक्षकार द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था को विक्रय नहीं किया गया है और न ही किसी अनुबंध पेटे कोई राशि प्राप्त की गयी है एवं मेरे पक्षकार को उक्त भूमि को विधि के अनुसार विकय, अंतरण, उपयोग एवं उपभोग करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। उक्त जाहिर सूचना असत्य एवं भ्रामक होकर मेरे पक्षकार पर बंधनकारी नहीं है। मेरे पक्षकार झूठी एवं भ्रामिक जाहिर सूचना के विरुद्ध संबंधित पक्ष के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही करने हेतु अपना अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

गौरव छाबड़ा, एडवोकेट
कार्यालय : जी-9, मान हेरीटेज, 6/2, साउथ तुकोगंज, हाई कोर्ट के पास इंदौर 452001 (म.प्र.)
फोन नं. : 9893033236

जाहिर सूचना For Booking Call : 9977094493

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे पक्षकार द्वारा ग्राम पिपलियाराव, तहसील जूनी इंदौर, जिला इंदौर के **श्री रामदेव पुत्र श्री सूरज पाल गड़रिया** निवासी पिपलियाराव, जूनी इंदौर, इन्दौर के स्वामित्व एवं आधिपत्य के खसरा क्र. 262/4/1 (स) कुल रकबा 0.5670 हैक्टेयर की ग्राम पिपलियाराव स्थित भूमि को क्रय करने के तहत बयाना राशि का भुगतान कर, उक्त भूमि के दस्तावेजों का अवलोकन एवं विधिक राय की प्रकिया कर रहें हैं। यदि उक्त संपत्तियों पर किसी बैंक, व्यक्ति, संस्था, निकाय, शासकीय, अर्धशासकीय विभाग का भार, बोझा हो या शासन की योजना में समाविष्ट हो या हित, अधिकार, डिक्री, अटेचमेंट हो या इस विक्रय व्यवहार में किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो वह सप्रमाण सहित जाहिर सूचना प्रकाशन से **7 दिनों** में अपनी आपत्ति मय लिखित प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। अवधि पश्चात् विक्रय पत्र का पंजीयन विक्रेतागण से करवा लिया जावेगा एवं कोई आपत्ति हमारे पक्षकार के हितों पर बंधनकारक नहीं होगी सो विदित हो।

नीरज परमार (एडवोकेट)
102, मोदी टॉवर, एम.टी.एच. कम्पाउंड, इन्दौर
फोन: 2435141, 2431525, 94250-57783

जाहिर सूचना का प्रतिवाद

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, **दैनिक भास्कर समाचार पत्र दिनांकित 17/11/2023 को अधिवक्ता भूपेन्द्र शर्मा एवं मयंक शर्मा (एस. सी. शर्मा एंड एसोसिएट्स) द्वारा हमारे पक्षकार (1) श्री हनुमंतसिंह चौहान पिता श्री मनोहरसिंह चौहान (2) श्री यजुवेन्द्रसिंह चौहान पिता श्री मनोहरसिंह चौहान, दोनों निवासी 201-203, निकीता अपार्टमेंट, होटल अमलतास के पास, ए.बी. रोड, इन्दौर (म.प्र.)** से उनके संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि पटवारी हल्का नंबर कनाड़िया के ग्राम कनाड़िया, तहसील कनाड़िया, जिला इन्दौर (म.प्र.) पर स्थित सर्वे क्रमांक 6/4 रकबा 0.664 हैक्टेयर के सम्बन्ध में एक जाहिर सुचना प्रकाशित की गई हैं। हमारे पक्षकार द्वारा उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का कोई सौदा आज दिनांक तक नही किया गया हैं। अतः सूचित किया जाता हैं कि, कुछ अनैतिक लोगो के द्वारा उक्त भूखंड का सौदा किये जाने का अवैधानिक रूप से प्रयास किया जा रहा हैं। जिनके विरुद्ध दण्डनीय कार्यवाही की जा रही हैं। सो विधित हो।

VIKAS YADAV ADVOCATE
Office & Residence : 11, Dev Nagar Colony, Near Palasia, A.B. Road, Indore (M.P), Mo. 99267-76911

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, इंदौर पीठ के समक्ष

सी.ए. (सीएए) नं. 3/एमपी ऑफ 2023 से जुडा हुआ सी.पी. (सीएए) नं. 4/एमपी ऑफ 2023 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 और 232 और कंपनी (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियम, 2016 के अन्य लागू प्रावधानों के मामले में ;

और

एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय एस्सार पावर एमपी लिमिटेड, पावर प्लांट, ग्राम बंधौरा, पोस्ट करसुआलाल सिंगरौली, सिंगरौली, मध्य प्रदेश - 486886, की व्यवस्था की योजना के मामले में;

सीआईएनः U99999MP2005PLC052837 ......याचिकाकर्ता कंपनी / विघटित कंपनी

याचिका की सुनवाई की सूचना

इसके द्वारा नोटिस दिया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 के तहत एक कंपनी याचिका **एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (याचिकाकर्ता कंपनी / विघटित कंपनी), एस्सार ट्रांसको लिमिटेड (परिणामी कंपनी)**, और उनके संबंधित शेयरधारकों के बिच व्यवस्था की योजना की मंजुरी कि मांग कर रही याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा 19 अक्टूबर, 2023 को माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, इंदौर बेंच **(एनसीएलटी)** के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उपरोक्त याचिका अब 5 जनवरी, 2024 को माननीय एनसीएलटी के समक्ष सुनवाई के लिए तय की गई है। उक्त याचिका का समर्थन या विरोध करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को याचिकाकर्ता कपंनी के वकीलों को उनके नीचे दिए गए पते पर एक नोटिस भेजना चाहिए, जिस पर उसके या उसके वकील द्वारा उसके नाम और पते के साथ हस्ताक्षर किए गए हो, ताकि याचिकाकर्ता कंपनी के वकील तक उपरोक्त याचिका की सुनवाई के लिए तय की गई तारीख से 2 (दो) दिन पहले पहुंच जाए।

जहां कोई संबंधित व्यक्ति उपरोक्त याचिका का विरोध करना चाहता है, तो उसके विरोध का आधार या उस संबंध में हलफनामे की प्रति, और नोटिस के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए।

याचिका की एक प्रति याचिकाकर्ता कंपनी के वकील से शनिवार और रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों को छोडकर किसी भी कार्य दिवस पर, लेकिन याचिका की सुनवाई के निर्धारित तारीख से 2 (दो) दिन पहले सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच प्राप्त की जा सकती है।

दिनांक 18 नवंबर, 2023

पताः गांधी लॉ एसोसिएट्स, 1504/5/6, 15वीं मंजिल, टावर-ए, नवरत्न कॉर्पोरेट पार्क इस्कॉन, अंबली रोड, निकट अशोक वाटिका, अहमदाबाद, गुजरात - 380058.	श्री. राहील पटेल पार्टनर गांधी लॉ एसोसिएट्स याचिकाकर्ता कंपनी के वकील

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, इंदौर पीठ के समक्ष

सी.ए. (सीएए) नं. 6/एमपी ऑफ 2023 से जुडा हुआ सी.पी. (सीएए) नं. 3/एमपी ऑफ 2023 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 और 232 और कंपनी (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियम, 2016 के अन्य लागू प्रावधानों के मामले में ;

और

एस्सार ट्रांसको लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित एक कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय जलसा कॉम्प्लेक्स, प्लॉट नं 175/1, 175/1 ख., 175/5, ग्राम ताली (वैढन), जिला सिंगरौली, वैढन सिंगरौली, कोलियरी सीधी मध्य प्रदेश - 486886, में दुकान नं 2 और 3 पर है, की व्यवस्था की योजना के मामले में;

सीआईएनः U40106MP2022PLC066994 ......याचिकाकर्ता कंपनी / परिणामी कंपनी

याचिका की सुनवाई की सूचना

इसके द्वारा नोटिस दिया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 के तहत एक कंपनी याचिका **एस्सार ट्रांसको लिमिटेड (याचिकाकर्ता कंपनी / परिणामी कंपनी), एस्सार पावर ट्रान्समिशन कंपनी लिमिटेड (विघटीत कंपनी)**, और उनके संबंधित शेयरधारकों के बिच व्यवस्था की योजना की मंजुरी कि मांग कर रही याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा 19 अक्टूबर, 2023 को माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, इंदौर बेंच **(एनसीएलटी)** के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उपरोक्त याचिका अब 5 जनवरी, 2024 को माननीय एनसीएलटी के समक्ष सुनवाई के लिए तय की गई है। उक्त याचिका का समर्थन या विरोध करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को याचिकाकर्ता कपंनी के वकीलों को उनके नीचे दिए गए पते पर एक नोटिस भेजना चाहिए, जिस पर उसके या उसके वकील द्वारा उसके नाम और पते के साथ हस्ताक्षर किए गए हो, ताकि याचिकाकर्ता कंपनी के वकील तक उपरोक्त याचिका की सुनवाई के लिए तय की गई तारीख से 2 (दो) दिन पहले पहुंच जाए।

जहां कोई संबंधित व्यक्ति उपरोक्त याचिका का विरोध करना चाहता है, तो उसके विरोध का आधार या उस संबंध में हलफनामे की प्रति, और नोटिस के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए।

याचिका की एक प्रति याचिकाकर्ता कंपनी के वकील से शनिवार और रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों को छोडकर किसी भी कार्य दिवस पर, लेकिन याचिका की सुनवाई के निर्धारित तारीख से 2 (दो) दिन पहले सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच प्राप्त की जा सकती है।

दिनांक 18 नवंबर, 2023

पताः गांधी लॉ एसोसिएट्स, 1504/5/6, 15वीं मंजिल, टावर-ए, नवरत्न कॉर्पोरेट पार्क इस्कॉन, अंबली रोड, निकट अशोक वाटिका, अहमदाबाद, गुजरात - 380058.	श्री. राहील पटेल पार्टनर गांधी लॉ एसोसिएट्स याचिकाकर्ता कंपनी के वकील

पश्चिम रेलवे - भावनगर मण्डल

3.9/04 एसएलआर टन का लीज कॉन्ट्रैक्ट

मंडल रेल प्रबंधक (वाणिज्य), पश्चिम रेलवे, भावनगर परा आईआरईपीएस के माध्यम से बीवीपी मंडल से शुरू होने वाली विभिन्न ट्रेनों के एसएलआर और वीपी डिब्बे के लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट की ई-नीलामी आमंत्रित करते हैं। नीलामी आईआरईपीएस वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है, विवरण इस प्रकार हैं:

ई-नीलामी आमंत्रण सूचना

अनुबंध के प्रकार	स्थान एवं संपत्ति का विवरण						कैटलॉग क्रमांक
पार्सल स्थान का लीजिंग	एसएलआर के 3.9/04 टन पार्सल स्थान और वीपी के 24 टन पार्सल स्थान को लीज कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए नीलामी।						लीज-2023-18
	क्रम	ट्रेन क्र.	कम्पा.	आवृत्ति	प्रस्थान	गंतव्य	
	1	19107	एफ एसएलआर	रविवार	बीवीसी	युएचपी	
	2	19107	आर एसएलआर	रविवार	बीवीसी	युएचपी	
	3	19120	एफ /II एसएलआर	दैनिक	वीआरएल	एडीआई	
	4	19120	आर/I एसएलआर	दैनिक	वीआरएल	एडीआई	
	5	19319	एफ /I एसएलआर	बुधवार	वीआरएल	आइएनडीबी	
	6	19319	एफ /II एसएलआर	बुधवार	वीआरएल	आइएनडीबी	
	7	19319	आर/I एसएलआर	बुधवार	वीआरएल	आइएनडीबी	
	8	22994	आर एसएलआर	गुरुवार	एमएचवी	बीडीटीएस	
	9	22990	आर एसएलआर	शनिवार	एमएचवी	बीडीटीएस	
	10	22964	आर एसएलआर	रविवार	बीवीसी	बीडीटीएस	
	11	20956	एफ एसएलआर	सोम, मंगल, बुध, शुक्र और रवि	एमएचवी	एसटी	
	12	20968	एफ/II एसएलआर	मंगलवार	पीबीआर	एससी	
	13	12905-12906	वीपी	बुध, गुरु, शुक्र और शनि	पीबीआर	एसएचएम	
	14	19016-19015	वीपी	दैनिक	पीबीआर	डीडीआर	
	15	19319-19320	वीपी	बुध और गुरु	वीआरएल	आइएनडीबी	

1. ई-नीलामी दिनांक **23.11.2023 को प्रातः 11.00 बजे** से प्रारम्भ होगी। **2.** नीलामी में भाग लेने के लिए IREPS ई-नीलामी लीजिंग पोर्टल पर पंजीकरण आवश्यक है। **3.** अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.ireps.gov.in- इसलिए अनुरोध है कि उपरोक्त विवरण के अनुसार ई-नीलामी के प्रकाशन की व्यवस्था करें। प्रकाशन की अंतिम वांछित दिनांक 17.11.2023 है 126

हमें लाईक करें: facebook.com/WesternRly हमें फॉलो करें: twitter.com/WesternRly

जोड़ों के दर्द के लिए नए-नए प्रयोग छोड़ो सबसे विश्वनीय डा. ऑर्थो तेल से नाता जोड़ो

Dr. Juneja's **डा.ऑर्थो**®
Ayurvedic Oil, Capsules, Spray & Ointment

क्या आप जानते हैं? बेहतर परिणाम के लिए डा. ऑर्थो तेल इस्तेमाल करने का तरीका

STEP 1 डा. ऑर्थो तेल की कम से कम 8ml से 10ml मात्रा कटोरी में लेकर पीड़ित अंग/जोड़ पर धीरे-धीरे हल्के हाथ से मालिश करें।

STEP 2 पीड़ित अंग/जोड़ पर आयुर्वेदिक डा. ऑर्थो तेल से तब तक मालिश करें जब तक तेल पूर्णतः समा न जाए।

STEP 3 आयुर्वेदिक डा. ऑर्थो तेल से मालिश सुबह नहाने के बाद और रात्रि में सोने से पहले करें। यह ज्यादा लाभप्रद रहता है।

STEP 4 डा. ऑर्थो तेल के प्रयोग से पहले एवं बाद में हाथों को अच्छी तरह साबुन से धो लें।

STEP 5 डा. ऑर्थो तेल को खुले घावों, जख्मों, जले-कटे हुए भाग, नेत्रों एवं शरीर के अंदरूनी भागों से दूर रखें।

STEP 6 आयुर्वेदिक डा. ऑर्थो तेल से अधिक एवं शीघ्र लाभ के लिए डा. ऑर्थो के दो कैप्सूल सुबह व दो कैप्सूल शाम को दूध या गुनगुने पानी के साथ सेवन करना लाभकारी है।

STEP 7 पुराने एवं जटिल रोगों के लिए डा. ऑर्थो आयुर्वेदिक कैप्सूल का नियमित 3 माह का प्रयोग अधिक लाभकारी एवं निर्देशित है।

STEP 8 डा. ऑर्थो तेल एवं कैप्सूल पूर्णतः आयुर्वेदिक औषधि है, इस कारण इसका प्रभाव अल्पकालिक नहीं लबें समय तक बना रहता है।

STEP 9 यह कोई Temporary Pain Killer नहीं आयुर्वेदिक औषधि है और इसका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं है। साथ ही यह Clinically Tested भी है।

Super Saver Pack
Dr. Ortho Oil 200ml also available

24x7 Helpline: 78769 77777 | www.drorthooil.com | Available at all medical & general stores